भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *335**

24.03.2025 को उत्तर के लिए

**तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना तथा तटीय विनियमन क्षेत्र**

***335 कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार गोवा राज्य के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) कब तक अधिसूचित करेगी;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) संबंधी उल्लंघनों की जांच करने और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील तटीय विनियमन क्षेत्रों में भूखंडों के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की जांच करने के लिए एसआईटी की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अन्य तटीय राज्यों में इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या गोवा राज्य से इस तरह के किसी उल्लंघन की जानकारी मिली है;

(ङ) क्या गोवा के तटीय क्षेत्रों की मूल तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में छेड़छाड़ की किसी घटना की कोई जानकारी मिली है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**
**(श्री भूपेन्द्र यादव)**

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**"तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना और तटीय विनियमन क्षेत्र" के संबंध में माननीय सांसद श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस द्वारा दिनांक 24/03/2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *335 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अनुसार दिनांक 6 सितंबर, 2022 को गोवा के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) को अनुमोदित किया है। तथापि, इस मंत्रालय को सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अनुसार सीजेडएमपी को अद्यतन करने के लिए गोवा सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जब तक सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार अद्यतित सीजेडएमपी को अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक गोवा में सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के उपबंध प्रभावी रहेंगे।

(ख) से (च) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 23/10/2024 के आदेश के अनुपालन में, पुलिस आयुक्त ने दिनांक 26/10/2024 के आदेश के तहत तटीय क्षेत्र विनियमों के उल्लंघनों की जांच तथा राजस्व मानचित्रों (जिसके लिए राज्य सरकार संरक्षक है) में कथित हेरफेर की जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (सीजेडएमपी) सार्वजनिक सूचना के लिए राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं, जिससे हेरफेर की निगरानी और रोकथाम आसान हो जाती है।

इसके अलावा, सीआरजेड अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और 19 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सभी एससीजेडएमए को पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सीजेडएमए को किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सघन निगरानी करने हेतु संवेदनशील बनाता है तथा बैठकों और औपचारिक संप्रेषण के माध्यम से नियमित आधार पर सीआरजेड अधिसूचनाओं के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को गोवा राज्य के संबंध में इस तरह के उल्लंघनों या हेरफेर की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। गोवा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्हें अनुमोदित मानचित्रों से छेड़छाड़ की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

*****